निर्णय वइजलास श्री दीपक मित्तल आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 85/17 दावा
दायरा दिनांकः–14.07.2017
निर्णय दिनांकः– 30.10.23

उनवान

1. श्रवणलाल आयु 70 वर्ष पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. चन्द्रकलां पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी मुकेश जाति मीणा निवासी पाचेलखुर्द हाल निवासी अस्पाताल रोड बारां जिला बारां (राज0)
2. अंजना पुत्री रामरतन पत्नी रामपाल जाति मीणा निवासी तिसाया हाल निवासी दुर्गा बिहार वार्ड नं0 25 अटरू रोड बारां जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0 टी0 एक्ट0,136 एल आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 30.10.23

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री ओम मेहता – प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल जैन – अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम गजनपुरा बारां की आराजी खसरा नं0 166 रकबा 0.25 है0 खसरा नं0 167 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 168 रकबा 0.49 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.94 है0 एवं ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 को वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नं0 166 के साबिक खसरा नं0 सेटलमेन्ट सम्मत 2038–57 के पूर्व 153 मिन से खसरा नं0 166 कायम किया गया है जिसका रकबा 0.25 है0 है इसी प्रकार खसरा नं0 167 रकबा 0.20 है0 साबिक खसरा नं0 154 मिन व 154/604 से कायम किया गया है इसी प्रकार खसरा नं0 168 रकबा 0.49 है0 साबिक खसरा नं0153 मिन व 154 मिन से कायम किया गया है सेटलमेन्ट सम्मत 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा नं0 153 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा बीड व खसरा नं0 154 रकबा 3 बीघा बीडा वाला खसरा नं0 154/604 सम्मत 2034–37 में मूल खातेदार कालूलाल बाबूलाल पुत्रगण मांगीलाल हिस्सा 1/4 व अन्य सहखातेदारान के खातेदारी एवं

उपखण्ड अधिकारी
बारां

स्वामित्व की थी जिसके सेटलमेन्ट 2038–57 में दर्ज थी इसी प्रकार ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 के साबिक खसरा नं0 सेटलमेन्ट सम्मत 2038–57 में खसरा नं0 73 जो साबिक खसरा नं0 है से कायम किया गया है जिसका सम्मत 2031–34 में मूल खातेदार बाबूलाल पुत्र मांगीलाल ममीणा के खातेदारी में खसरा नं0 66 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ओर खसरा नं0 73 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से कायम किया गया है एक बीघा 5 बिस्वा का रकबा 0.20 है0 दर्ज होना चाहिये था जो सेटलमेन्ट 2038–57 में ग्राम रजपाली का खसरा नं0 104 रकबा 0.03 है0 अधिक दर्ज किया गया है जबकि सेटलमेन्ट विभाग को रकबे में कमी बेशी करने का कोई अधिकार नही था इस प्रकार सेटलमेन्ट सम्मत 2038–57 में गलत रूप से ग्राम रजपाली का खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 में 0.03 में अधिक किया गया है जिसे वादीकम करवाने का अधिकारी है एवं ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नं0 166 रकबा 0.25 है0 खसरा नं0 167 रकबा 0.20 है0 व खसरा नं0 168 रकबा 0.49 है0 दर्ज है जिसके साबिक खसरा नं0 सेटलमेन्ट सम्मत 2038–57 से पूर्व खसरा नं0 153 व 154 154/604 से कायम किये गये है जिसके खसरा नं0 153 का रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं0 154 का रकबा 3 बीघा से कायम किये गये है जो नक्शा सम्मत 2011 से 2012 का ह उसमे खसरा नं0 154 व खसरा नं0 153 स्थित है जिसमें खसरा नं0 154 का गजनपुरा के अंतिम कांकड जो रजपाली से लगा हुआ है उसका स्थित है उसी कांकड पर खसरा नं0 154/604 अंकित है जो गजनपुरा में किसी भी प्रकार से रजपाली के कांकड व वादी के खातेदारी की आराजियात के बीच कोई सिवायचक आराजी नही है किन्तु नया बनाते समय खसरा नं0 167 व रोड के मध्य में खसरा नं0 171 की सिवायचक आराजी गलत रूप से दिखाई गई है जो नक्शा सन 1978 में की गई है जिसकी दुरूस्ती भी वादी कराने का अधिकारी एवं नालिशी है। क्योकि नक्शा ट्रेस सन 1978 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया है उसमें खसरा नं0 167 व ग्राम रजपाली के कांकड के मय गलत रूप से सिवायचक पट्टी जो खसरा नं0 171 की बताई गई वह गलत रूप से अंकित की गई है सेटलमेन्ट विभाग को केवल नये पुराने नम्बर परिवर्तित करने तक ही सिमित अधिकार प्राप्त थे रकबा कम या ज्यादा करने व नक्शे को परिवर्तित करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सम्मत 2038–57 में ग्राम गजनपुरा के नक्शे में खसरा नं0 साबिक नं0 153 व 154 एवं 154/604 के स्थान पर नये खसरा नं0 कायम किये गये 166,167,168 में नक्शे में गलत रूप से परिवर्तित किया गया है जबकि पुराने नक्शे में खसरा नं0 154 व 154/604 में रजपाली कांकड पर कोई सरकारी भूमि नही है जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम किया गया नक्शा सन् 1977–78 में खसरा नं0 167 व रजपाली कांकड के मध्य खसरा नं0 171 की पट्टी के रूप में सिवायचक आराजी बताई गई है जबकि 167 व रजपाली कांकड के मध्य मुख्य सडक है जिसके मध्य कोई सरकारी भूमि नही है जिसकी दुरूस्ती वादी करवा पा सकने का अधिकारी है एवं ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 के साबिक खसरा नं0 सेटलमेन्ट सम्मत 2038–57 के पूर्व खसरा नं0 73 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से कायम यि गये है जो 0.20 है0 होना चाहिये था किन्तु 0.23 है0 0.23 है0 कायम किया गया है इस प्रकार 0.23 है0 की अधिकता की गई है जिसे भी वादी 0.03 है0 कम करवा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है। खसरा नं0

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

104 ग्राम रजपाली का खाल से लगवा दिखाया गया है जबकि पुराने नक्शे में खसरा नं0 साबिक 73 व खाल के मध्य खसरा नं0 72 अंकित था किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नं0 103 को ग्राम रजपाली के व गजनपुरा के कांकड से दुर दिखा दिया गया है इस प्रकार सेटलमेन्ट 2038–57 में ग्राम रजपाली के नक्शे में भी परिवर्तन किया गया है जो किसी भी प्रकार से सेटलमेन्ट विभाग को अधिकार नही था इस प्रकार सेटलमेन्ट 2038–57 में ग्राम गजनुपरा व रजपाली के नक्शे में किये गये परिवर्तन की दुरूस्ती एवं ग्राम रजपाली के खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 में 0.03 है0 की गई वृद्धि को कम करवा कर 0.23 के स्थान पर 0.20 है0 का अंकन करने हेतु वादी अधिकारी एवं नालिशी है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नं0 166,167,168 में किसी भी प्रकार का व्यवधान न स्वंय उत्पन्न न करने व अपने किसी प्रतिनिधी से कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी द्वारा नक्शे में दुरूस्ती करने व खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 को कम कर 0.20 है0 ग्राम रजपाली दर्ज करने एवं ग्राम गजनपुरा व रजपाली के नक्शे में पुराने नक्शे के अनुसार दुरूस्ती करने का तहसीलदार बारां को निवेदन किया गया किन्तु नक्शे में दुरूस्ती करने व रिकार्ड में परिवर्तन करने से इंकार करते हुये सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई जिस पर वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिनांक 05.07.2017 को दिलाया गया इस प्रकार अंतिम रूप से दिनांक 05.07.2017 को एवं प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की धमकी दिये जाने पर दिनांक 07.06.2017 का उत्पन्न हुआ है।

वादी का का वाद दर्ज रजिस्टार कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत् 2034–37 खाता सं0 16 नकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2031–34 खाता सं0 27 नकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2031–34 खाता सं0 52 नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत् 2034–37 नकल आर्डर शीट दिनांक 31.05.2017,06.06.2017 पेश की गई नकल पैमाईश की पालना भिजवान हेतु तहसीलदार बारां का पत्र दिनांक 9.06. 2017 पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 07.06.2017 फोटो प्रति सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17. 04.2018 फोटो प्रति नक्शा ट्रेस ,नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57 नकल, नक्शा ट्रेस सम्वत् 2011–12 ग्राम रजपाली नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गजनपुरा नकल, नक्शा ट्रेस ग्राम गजनुपरा सन् 1977–78 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम रजपाली, नकल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2011–12 सन् 1955–56, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गजनपुरा सम्वत् 2070–73 खाता सं0 180 नकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2071–74 खाता सं0 124 नकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2071–74 खाता सं0 22 नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.04.2018 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम रजपाली पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 श्रवणलाल PW2 परमानन्द के बयान कराये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 अंजना के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

तनकी नं0 1 आया कि ग्राम गजनपुरा के खसरा नं0 166 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 167 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 168 रकबा 0.49 है0 कुल किता 3 रकबा 0.94 है एवं ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है स्थित है। **वादी**

तनकी नं0 2 आया कि ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नं0 166,167,168 के एवं ग्राम रजपाली के कांकड के मध्य दिखाई गई सरकारी पट्टी को हटाया जाकर पुराने नक्शे के अनुसार नक्शे में दुरूस्ती कराने का अधिकार है। **वादी**

तनकी नं0 3 आया कि ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 जिसका साबिक खसरा नं0 73 रकबा 1.05 बीघा से कायम किया है जो 0.03 है0 अधिक कायम किया है इस प्रकार खसरा नं0 104 का रकबा 0.20 है0 दर्ज किया जावे। **.....वादी**

तनकी नं0 4 आया कि धारा 88,89,188 आर.टी.ए0 तथा धारा 136 एल.आर.एक्ट0 में नक्शा दुरूस्ती का कोई प्रवाधान नही है इसलिए न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है। **.....प्रतिवादी**

तनकी नं0 5 आया कि ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नं0 104 प्रतिवादी के खाते रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दर्ज है चुकी इसलिए श्रीमान न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार नही है। **.....प्रतिवादी**

तनकी नं0 6 अनुतोष

बहस अभिभाषक ग्राम पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में बताया कि वादी की आराजी ग्राम गजनपुरा में खसरा नं0 166 रकबा 0.25 हेक्टे0 खसरा नं0 167 रकबा 0.20 हेक्टे० खसरा नं0 168 रकबा 0.49 हेक्टे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.94 हेक्टे० है जिसकी भूप्रबन्ध विभाग सम्मत 2038.57 से पूर्व साबिक खसरा नं0 153 से हाल खसरा नम्बर 166 रकबा 0.25 हेक्टे0 व खसरा नं0 168 रकबा 0.49 हेक्टे0 कायम किया गया है इसी प्रकार साबिक खसरा नं0 154 154/604 से हाल खसरा नं० 167 रकबा 0.20 हेक्टे0 व 168 रकबा 0.49 हेक्टे0 कायम किया गया है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 166, 167,168 तीनो नम्बरान साबिक खसरा नं० 153 व 154 से कायम किये गये है। ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नं0 104 रकबा 0.23 हेक्टे0 के साबिक खसरा नं0 73 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूप्रबन्ध विभाग सम्मत 2038–57 मे कायम किये गये है इसी प्रकार खसरा नं0 103 रकबा 0.02 हेक्टे0 साबिक खसरा नं0 73/216 से कायम किया गया है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नं0 104 रकबा 0.23 हेक्टे0 साबिक खसरा नं0 73 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से कायम किया गया है जो 0.03 हेक्टे0 अधिक दर्ज किया गया है जबकि 1 बीघा 5 बिस्वा का रकबा 0.20 हेक्टे0 कायम किया जाना चाहिये था।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

भूप्रबन्ध विभाग सम्मत 2038–57 में ग्राम गजनपुरा का नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नं0 153,154 व 154/604 के हाल खसरा नम्बर 166,167,168 कायम करते वक्त नया नक्श ट्रेस तैयार करते समय खसरा नं0 166,167,168 जो गजनपुरा के है इसके व रजपाली के कांकड के मध्य कोई सरकारी रकबा शेष नही किन्तु भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सम्मत 2038–57 में गलत रूप से खसरा नं० 167 के व रजपाली के कांकड के मध्य ग्राम गजनपुरा का खसरा नं0 171 जो सिवायचक रकबा था उसकी एक पट्टी को खसरा नं0 167 व रजपाली के कांकड के मध्य पतली पट्टी के रूप में दर्ज कर दिया गया है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम गजनपुरा का नक्शाट्रेस नया तैयार करते वक्त त्रुटि की गई है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 17.4.2018 को सीमाज्ञान किया गया उसके मुताबिक दिनांक 16.4. 2018 से 17.4.2018 तक विवादित भूमि ग्राम गजनपुरा की खसरा नं0 166 167,168 व ग्राम रजपाली की खसरा नम्बर 104 रकबा 0.03 हेक्टे0 खसरा नं0 326/104 रकबा 0.20 हेक्टे0 जो दोनो खसरा नम्बर मूल खसरा नं0 104 0.23 के भाग है की पैमाईश मौके पर सेटलमेन्ट कर्मचारी व आई.एल..आर बटावदा आई0 एल आर फतेहपुर आई0एल0आर बारां व हल्का पटवारी तथा भूप्रबन्ध विभाग के प्रतिनिधीयो द्वारा सीमाज्ञान कर पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई जिसके मुताबिक मौका व नक्शा ग्राम रजपाली के खसरा नं0 104 पूर्वी दक्षिणी कोने की सीमा पर स्थित ग्राम गजनपुरा के खसरा नं० 171 का पश्चिमी कोना जिसका माप 28 मीटर व खसरा नं0 167 का उत्तरी भाग पूर्व से पश्चिम की ओर जिसका माप 52 मीटर है पर अतिकण कर पत्थर कोट पाया गया है इस प्रकार जो खसरा नं० 171 का पश्चिमी कोना जिसका माप 28 मीटर बताया गया है वह पूर्व साबिक खसरा नं0 154 का भाग है इस प्रकार पूर्व साबिक खसरा नं0 154 जिसके हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.20 हेक्टे0 व 154/604 कायम किये गये है जिसमें 154/604 गैर मुमकिन चाह के रूप में है व इसके लगवां ही खसरा नं0 153 व 154 दोनो से मिलाकर खसरा नं0 168 तैयार किया गया है तथा साबिक खसरा नं0 153 से हाल खसरा नं0 166 रकबा 0.25 हेक्टे0 कायम किया गया है इस प्रकार खसरा नं० 154 के पूर्वी ओर खसरा नं० 155 जो सिवायचक था स्थित था जिसके भाग हाल खसरा नम्बर 171 व अन्य खसरा नम्बर कायम किये गये है इस प्रकार साबिक खसरा नं0 155 का कोई भाग खसरा नं0 154 के उत्तरी ओर रजपाली के कांकड़ पर कोई भाग स्थित नहीं था इस प्रकार खसरा नं० 171 भूप्रबन्ध विभाग 2038–2057 द्वारा नया नक्शाट्रेस कायम करते वक्त खसरा नं0 167 के उत्तरी व पूर्वी ओर दोनो तरफ खसरा नं० 171 का भाग दिखाया गया है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 167 के उत्तरी ओर जो खसरा नं0 171 की भूपट्टी दिखाई गई वह गलत अंकित की गई है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग को किसी भी खसरा नं० के नक्शा ट्रेस मे या रकबे मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नक्शा ट्रेस तैयार किया गया है जिसकी पूर्व नक्शे अनुसार वादी दुरूस्ती करवाकर खसरा नं0 167 के उत्तरी ओर दिखाई गई खसरा नं0 171 की भूपट्टी जो गठित टीम भूप्रबन्ध विभाग व तहसील बारां की संयुक्त टीम द्वारा सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की गई दिनांक 17.4.2018 के मुताबिक खसरा नं0 171 का पश्चिमी कोना जिसका माप 28 मीटर व खसरा नं0 167 का उत्तरी भाग पूर्व से पश्चिम की ओर जिसका माप 52 मीटर है दिखाया गया है वह भाग भी

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

वादी का है खसरा नं0 171 का कोई भाग रजपाली के कांकड व गजनपुरा के कांकड का खसरा नं0 197 के मध्य मे नही है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सम्मत 2038–57 के दौरान कायम किये गये नये नक्शे मे त्रुटि की गई है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर साबिक खसरा नम्बरान 154, 154/604 के मुताबिक हाल खसरा नम्बर को. दुरूस्त कराकर लालस्याही से नक्शा ट्रेस में दर्ज कराने का अधिकारी है।

ग्राम रजपाली के साबिक खसरा नम्बर 73 रकबा 1 बीघा 5 विस्या के हाल खसरा नं० 104 व साबिक खसरा नं0 73/216 के हाल खसरा नम्बर 103 कायम किये गये है इस प्रकार खसरा नं0 73 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से हाल खसरा नं0 104 रकबा 0.23 हेक्टेव कायम किया गया है जबकि 0.20 हेक्टेव ही कायम किया जाना चाहिये था इस प्रकार भूप्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 2036–57 के वक्त नया नक्शा ड्रेस तैयार करते वक्त 0.23 के अनुसार हाल खसरा नं0 104 का नक्शाट्रेस तैयार किया गया है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नं0 104 में 0.03 हेक्टे0 की वृद्धि की गई है एवं उसी अनुसार अधिक नक्शा दर्ज किया गया है जिसे वादी सेटलमेनट से पूर्व के नक्शे व रकबे के अनुसार दुरूस्त करवाकर ग्राम रजपाली का खसरा नं० हाल 104 के दो भाग हो चुके है जो खसरा नं० 104 रकबा 0.03 हेक्टे0 व खसरा नं0 336/104 रकबा 0.20 हेक्टे0 है इस प्रकार 0.03 हेक्टे रकबा कम किया जाकर व उसी अनुसार नक्शे में दुरूस्ती की जाकर लालस्याही से नक्शाट्रेस में अंकन कराने का वादी अधिकारी है। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम गजनपुरा के साबिक खसरा नम्बर 154, 154/604 व 153 के हाल खसरा नं0 167, 168 व 166 में नक्शाट्रेस तैयार करते वक्त की गई त्रुटि को पुराने नक्शे अनुसार दुरूस्त कराने तथा इसी प्रकार ग्राम रजपाली में साबिक खसरा नं0 73 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का हाल खसरा नं0 104 रकबा 0.23 हेक्टे0 में 0.03 हेक्टे0 की गई कमी बेशी को दुरूस्त कराकर 0.03 हेक्टे0 कम कराने व उसी अनुसार नक्शे को दुरुस्त कराने का वादी अधिकारी है। लिखित निवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गजनपुरा व रजपाली के नक्शा व रिकार्ड मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा जो वाद पत्र पेश किया है वह नक्शा दुरूस्तीका है तथा नक्शा दुरूस्ती के बावत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0 तथा 136 एल0आर0एक्ट में कोई प्रावधान नही है इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकर नही है प्रतिवादी की आराजी पर पत्थर का कोट बना हुआ है वादी पत्थर के कोट को गिरा कर कब्जा करना चाहता है प्रतिवादी द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामे से भूमि खरीद की है जो वर्तमान में प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज है वादी द्वारा भूमि क्रय की थी वादी के ग्राम गजनपुरा की भूमि क्रय की गई थी तथा प्रतिवादी द्वारा ग्राम रजप्राली की भूमि क्रय की है दोनो भूमियो के बीच कांकड स्थित है वादी अपने भूमि कम की है जितनी भूमि कम है उतनी भूमि वादी के खातेदारी में है वादी का नक्शा व रकबा कम कैसे हो गया। पूर्व खातेदार द्वारा अपना नक्शा क्यो दुरूस्त नही करवाया वादी का रकबा कम कैसे हो गया। वादी द्वारा भूमि दिनांक 18.06.2009 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई वादी ने सेटलमेन्ट के बाद भूमि क्रय की है तो सेटलमेन्ट द्वारा रकबा कम

उपखण्ड अधिकारी
वारॉ

कैये कर लिया सेटलमेन्ट से पहले वादी खातेदार ही नही था। वादी का वाद चलने योग्य नही है वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकी बार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :–

तनकी नं0 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत् 2034–37 खाता सं0 16 के अनुसार कुल किता 31 रकबा 88.15 बीघा भूमि कालुलाल,बाबूलालप पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4 सूरजमल,रामसुख,रामप्रताप,मन्नालाल पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1/4 अयोध्या बाई बेवा धन्नालाल हिस्सा 1/4 रामकल्याण,मोरपाल,लक्ष्मीनारायण पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है पकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2031–34 खाता सं0 27 मांग्या पुत्र ओंकार कोम मीना के नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2031–34 खाता सं0 52 के अनुसार बाबू पुत्र मांगीलाल कोम मीना का नाम दर्ज है रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत् 2034–37 के अनुसार कालुलाल,बाबूलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबनन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत् 2070–73 खाता सं0 180 के खसरा नं0 166 रकबा 0.250 है0 खसरा नं0 167 रकबा 0.2000 है0 खसरा नं0 168 रकबा 0.4900 है0 कुल किता 3 रकबा 0.9400 है0 में वादी श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीराज हिस्सा 3/4 जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2071–74 खात सं0 124 के खसरा नं0 336/104 रकबा 0.200 है0 अंजना पुत्र रामरतन पत्नी रामपाल के नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम रजपाली सम्वत् 2071–74 खाता सं0 22 के खसरा नं0 104 रकबा 0.0300 है0 चन्द्रकला पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीना के नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि ग्राम गजनपुरा की आराजी वादी के खातेदारी में तथा ग्राम रजपाली की आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी में है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती है।

तनकी नं0 2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल नक्शा टेस प्रर्दश 10, एवं नक्शा ट्रेस ग्राम रजपाली प्रर्दश 11 एवं नक्शा ट्रेस ग्राम गजनपुरा प्रर्दश 12, नकल नक्शा ट्रेस भौजा रजपाली सम्वत् 2011 प्रर्दश 13, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गनजपुरा सम्वत् 2011–12 प्रर्दश 14 के अनुसार दोनो गांव का कांकड (सीमा) वादी एवं प्रतिवादी की भूमि के बीच स्थित है वादी दोनो गांव के मध्य बीच में सरकारी पट्टी है जिसे हटाया जाकर वादी अपने खातेदारी में दर्ज करवाना चाहाता है जो समीव नही है क्योकि जिस प्रकार वादी खसरा नं0 166,167,168 की भूमि का रकबा व नक्शा की कमी पूर्ति करवाना चाहाता है जबकि वादी का उक्त खसरा नम्बर में मात्र 3/4 हिस्सा है वादी सहखातेदारो के बीच भूमि का बटवारा भ नही हुआ है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि किस खातेदार की भूमि कहां पर है वादी जिस प्रकार सरकारी भूमि से अपना रकबे की पूर्ति करना चाहता है जो सम्भव नही है वादी एवं सह खातेदारो के बीच बिना भूमि विभाजन के रकबा व नक्शा दुरूस्त कराना चाहता है वादी दोनो गांव की भूमि के मध्य कांकड की सरकारी पट्टी को अपने खातेदारी में दर्ज कराना चाहते है वादी यह साबित करने में विफल रहे है कि ग्राम गजनपुरा के किस खातेदार की भूमि में रकबा अधिक दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

किया गया है वादी की भूमि की पूर्ति सरकारी कांकड से नही की जा सकती। वादी द्वारा भूमि क्रय की की है क्रय के आधार पर प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत् 2070–73 खाता सं0 180 के 16 सह खातेदारा है वादी का 3/4 हिस्सा दर्ज है यह कैसे कहा जा सकता है कि वादी का रकबा कम किया है तथा नक्शा छोटा कर दिया है वादी यह तनकी साबित करने में विफल रहे है अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था प्रतिवादी द्वारा ग्राम रजपाली की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 0.23 है0 क्रय की गई थी। यह भूमि दिनांक 19.03.2012 को प्रतिवादी द्वारा क्रय की गई प्रतिवादी द्वारा खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 भूमि मोहनलाल पुत्र रामनारायण, रामचरण पुत्र बजरंगलाल जाति मीना से क्रय की गई थी प्रस्तुत नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57 ग्राम रजपाली साबिक खसरा नं0 73 का हाल खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 दर्ज है प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल में यह नही बता सकते की साबिक खसरा नं0 73 का कुल रकबा कितना था सह मिलान क्षैत्रफल में अंकित नही है इससे यह नही कहा जा सकता कि साबिक खसरा नं0 का रकबा कम कर हाल खसरा नं0 का रकबा बढा दिया है वादी द्वारा अपने खाते की भूमि का रकबा कम बताया गया है तथा नक्शा छोटा बताकर दुरूस्त करवाने हेतु उावा पेश किया है। वादी के खातेदारी की भूमि गजनपुरा में स्थित है ओर प्रतिवादी के खाते की भूमि ग्राम रजपाली में स्थित है वादी गजनपुरा में स्थित भूमि की कमी पूर्ति रजपाली की भूमि से कैसे करा सकता है क्योकि दोनो गांव की भूमि सीमा एवं कांकड से बटी हुई है वादी प्रतिवादी की भूमि जो रजपाली में स्थित है का रकबा कम कराने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी द्वारा ग्राम रजपाली के खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 02.04.2012 को क्रय की थी वादी प्रतिवादी की भूमि जो रजपाली में स्थित है का रकबा कम किस अधिकार के तहत करवाना चाहता है। प्रतिवादी द्वारा ग्राम राजपाली की भूमि 0.23 है0 खरीद की है ओर क्रम की गई भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी दुसरे गावं की भूमि से रकबा कम कर अपने खाते दर्ज कराना चाहते है जो नही किया जा सकता है वादी जिस प्रकार गजनपुरा की भूमि की कमी पूर्ति रजपाली भूमि से करवाना चाहते है जो नही की जा सकती क्योकि दोनो गांव के बीच कांकड स्थित है कांकड दोनो गांव की भूमि विभाजन की रेखा है इस रेखा (कांकड) से यह साबित होता है कि रजपाली की भूमि इधर है और गजनपुरा की भूमि इधर है वादी द्वारा दुसरे गांव की भूमि से कमी पूर्ति हेतु किया गया दावा चलने योग्य नही है अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा नक्शा दुरूस्ती हेतु जिस धाराओ दावा पेश किया है उन धाराओ में नक्शा दुरूस्त नही किया जा सकता। वादी द्वारा खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है वादी को नक्शा दुरूस्त करने हेतु नक्शा दुरूस्ती की धाराओ में प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था। वादी को दुसरे गांव की भूमि से नक्शा दुरूस्त नही किया जा सकता इसलिए गजनपुरा के नक्शा से ही कमी पूर्ति कर नक्शा दुरूस्त किया जा सकता है वादी द्वारा जिन धाराओ में दावा पेश किया है जो गलत पेश किया है यह दावा चलने

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

योग्य नही होने से खारिज योगय है अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी। खरीद के बाद से प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है अतः तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुचता हुँ कि वादी द्वारा ग्राम गजनपुरा के खसरा नं0 166,167,168 एवं ग्राम रजपाली के कांकड के मध्य दिखाई दि गई सरकारी पट्टी हटाया जाकर पुराने नक्शे के अनुसार दुरूस्त कराना चाहता है तथा ग्राम रजपाली के खसरा नं0 104 रकबा 0.23 है0 के स्थान पर 0.20 है0 दर्ज करवाना चाहता है वादी द्वारा सर्व प्रथम दावा नक्शा दुरूस्ती का नही किया है तथा गजनपुरा एवं रजपाली के मध्य सरकारी कांकड को नही हटाया जा सकता क्योकि सरकारी भूमि को वादी के खातेदारी के नक्शे में कैसे शामिल कर सकते है वादी द्वारा भूमि क्रय की है जो सन् 2009 में क्रय की है प्रतिवादी द्वारा सन् 2012 मे क्रय की है दोनो ने भूमिया क्रय की है वादी द्वारा ग्राम गजनपुरा की भूमि तथा प्रतिवादी ने ग्राम राजपाली की भूमि क्रय की है वादी की भूमि का नक्शा खरीदने के बाद छोटा नही है। विवादित खसरा नं0 166,167,168 का वादी सम्पूर्ण भूमि पर खातेदार नही है। तीनो खसरा नं0 16 सह खातेदारो के शामलती खातेदारी में दर्ज है वादी यह कैसे कह सकता है कि मेरी भूमि का नक्शा छोटा है वादी की भूमि गजनपुरा में स्थित है तथा ग्राम रजपाली की भूमि प्रतिवादी के खातेदारी में है का रकबा कैसे कम करा सकता है वादी दुसरे खातेदार एवं दुसरे गांव की भूमि का रकबा कम कराने का कोई अधिकार नही है गजनपुरा व रजपाली की भूमि का विभाजन कांकड से नक्शा में हो रहा है नक्शा में कांकड से ही पता लगा सकते है कि ग्राम गजनपुरा की भूमि यह है ओर रजपाली की भूमि यह है दोनो गांव के बीच कांकड को खत्म करके वादी के खातेदारी की भूमि में नही मिलाया जा सकता। वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बारां

उपखण्ड अधिकारी, बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिलाबारां (राज0)

डिक्री

संख्या 85 / 2017	धारा 88,89,188 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट	निर्णय दिनांकः– 30.10.2023
समक्ष : श्री दीपक मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री ओम मेहता एड0–वादी	अभिभाषकप्रतिवादीः–श्री बाबूलाल जैन	

वाद शीर्षक

1- श्रवणलाल आयु 70 वर्ष पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. चन्द्रकलां पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी मुकेश जाति मीणा निवासी पाचेलखुर्द हाल निवासी अस्पाताल रोड बारां जिला बारां (राज0)
2. अंजना पुत्री रामरतन पत्नी रामपाल जाति मीणा निवासी तिसाया हाल निवासी दुर्गा बिहार वार्ड नं0 25 अटरू रोड बारां जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.10.2023 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिलाँ–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	**वदपत्र / लिखित कथन**		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	**साक्ष्य पत्रक** (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	**व्यय** साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		